"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-2/2020/एक/6. — इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जून, 2020 द्वारा गठित किये गये मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की निधि के उपयोग के लिए उक्त आदेश की कंडिका-7 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1- **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण निधि नियम, 2020 होगा।

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

2- **परिभाषाएं -**

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(1) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत, राज्य सरकार द्वारा गठित, मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण से है।

(2) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, वे प्रपत्र जिनमें विकास कार्यो की स्वीकृति तथा वर्तमान स्थिति में संधारण एवं उन्नयन की आवश्यकता का प्रशासकीय एवं तकनीकी विवरण एवं इस पर व्यय की जाने वाली राशि, तत्पश्चात् उपयोग हेतु सर्वरूपेण उपयोगी होने का प्रमाण पत्र का उल्लेख हो।

(3) "निधि" से अभिप्रेत है, प्राधिकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के बजट से प्रतिवर्ष मांग संख्या-02, 6452-मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण, लेखा शीर्ष-2052, # 14-सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान एवं लेखा शीर्ष-4070, # 45 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण, 001 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण अंतर्गत बजट प्रावधान की जाने वाली जाने वाली राशि, जिससे प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

3– निर्णयों का क्रियान्वयन–

(1) शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आवागमन (संचार) से संबंधित शासकीय मद से निर्मित अधोसंरचनाओं के रख–रखाव तथा उन्नयन के आवश्यक कार्य माननीय सदस्य, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, संबंधित विभाग/जिला कलेक्टर्स के मांग–पत्र के अनुरूप प्राधिकरण/प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में दी जाएगी।

(2) अधोसंरचनाओं के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु रुपये 10 लाख की सीमा के कार्यो को प्राथमिकता क्रम में लेते हुए इससे आधिक्य राशि के कार्यो की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण/प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा दी गई स्वीकृति की संसूचना सदस्य–सचिव/उप सचिव प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएगी।

(4) प्राधिकरण से दी गई वित्तीय स्वीकृति के आधार पर कलेक्टर्स द्वारा नियत की गई निर्माण एजेंसी **प्ररूप–क** में अधोसंरचनाओं के संधारण/रख–रखाव एवं उन्नयन संबंधी कार्यो का विवरण देते हुए, तकनीकी स्वीकृति के साथ संबंधित जिला कलेक्टर्स को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) अधोसंरचना के पैतृक विभाग द्वारा **प्ररूप–क** के साथ **संलग्न प्रपत्र** में अधोसंरचना निर्माण का वर्ष, प्रस्तावित रख–रखाव एवं उन्नयन कार्य का विवरण, लागत राशि, कार्य उपरांत उपयोग हेतु अधोसंरचना की उपलब्धता की जानकारी होगी।

(6) निर्माण एजेंसी के द्वारा **प्ररूप–क** में प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेज एवं निधि नियम के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में पैतृक विभाग के प्रमाण पत्र सहित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(7) जिला कलेक्टर निर्माण एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत **प्ररूप–क** एवं संलग्न आवश्यक दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा, इसमें कार्य की सक्षमता अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति भी सम्मिलित होगी।

(8) कलेक्टर को एक करोड़ रुपये तक के कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार होगा, इसके ऊपर की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

(9) स्वीकृत कार्यो के लिए **प्ररूप–क** एवं प्रशासकीय स्वीकृतियों सहित कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एक सेल बनाकर करेंगे।

4– प्राधिकरण के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य–

प्राधिकरण के अंतर्गत शासकीय मद से निर्मित परिसम्पत्तियों यथा– शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पक्का धरसा एवं आवागमन (संचार) संबंधित अधोसंरचनाओं के रख–रखाव एवं उन्नयन संबंधी अति आवश्यक **कार्य नियम–3 के अंतर्गत**

उल्लेखित शर्तो के अधीन लिए जा सकेंगे तथा ऐसे कार्य जो किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन अथवा प्रचार में सहायक होते हैं, को प्राधिकरण द्वारा प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। निजी अथवा अशासकीय संस्था की भूमि पर निर्मित अधोसंरचना के रखरखाव व उन्नयन के कार्य नहीं किया जाएगा।

5— प्राधिकरण की निधि के लिए बजट का प्रावधान—

प्राधिकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय बजट में प्रतिवर्ष 50.00 करोड़ या इससे अधिक राशि बजट मांग संख्या—02, 6452—मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण, लेखा शीर्ष—2052, #14—सहायक अनुदान, 012—अन्य अनुदान एवं लेखा शीर्ष—4070, #45—पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण, 001—पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण अंतर्गत उपलब्ध होगी। प्राधिकरण से स्वीकृति के अनुक्रम में सदस्य सचिव/उप सचिव प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति पत्र सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

6— निधि से स्वीकृति जारी करना—

(1) प्राधिकरण/प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के लिए, अनुमोदन के अनुरूप, राशि जारी करने की स्वीकृति, सदस्य सचिव/उप सचिव प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित विभाग/जिला कलेक्टर्स को राशि पुनरावंटित की जावेगी।

(2) कलेक्टर द्वारा यथायोग्य दो अथवा तीन किश्तों में कार्यो की प्रगति के अनुसार राशि क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) कार्य की समाप्ति उपरांत कार्य पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर्स द्वारा सेल बनाकर संधारित करेंगे तथा मुख्यमंत्री सचिवालय, प्राधिकरण प्रकोष्ठ को इसकी विहित प्रपत्र में एकजाई जानकारी देंगे।

7— कार्य निरीक्षण प्रतिवेदन—

जिला कलेक्टर्स प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यो के नियमित निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन को छोड़कर अन्य विभाग के अधिकारियों को शामिल कर निरीक्षण समिति गठित करेंगे। यह समिति प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यों का स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा जिला कलेक्टर्स द्वारा किया जाएगा एवं संभागायुक्त को प्रतिवेदन से अवगत कराऐगा। संभागायुक्त प्रतिवेदनों के आधार सेम्पल निरीक्षण करवाकर अपने अभिमत सहित अध्यक्ष, प्राधिकरण एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को त्रैमासिक आधार पर अवगत करायेंगे।

8— **पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्ति—**

प्राधिकरण की निधि से स्वीकृत कार्य पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्त रहेंगे। संबंधित निर्माण विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसी को केवल कार्यो की लागत के बराबर ही राशि का आवंटन किया जाएगा।

9— **लेखा संधारण की रीति—**

(1) प्राप्त बजट तथा पुनरावंटन की स्वीकृति का लेखा सामान्य प्रशासन विभाग तथा प्राधिकरण प्रकोष्ठ द्वारा संधारित किया जायेगा।

(2) निधि से आबंटित राशि, व्यय एवं तत्संबंधी अन्य विषयों का लेखा, लेखा संधारण,सामान्य प्रशासन विभाग एवं संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय में इस हेतु एक प्रभारी अधिकारी को नियुक्त कर, राज्य सरकार की राशि के लेखा संधारण की भांति किया जाएगा।

(3) समय—समय पर इन लेखाओं का मिलान सामान्य प्रशासन विभाग व प्राधिकरण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।

10— **लेखाओं का पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण—**

(1) संबंधित विभाग/जिला कलेक्टर्स के द्वारा लेखा विवरण का समय—समय पर पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं निरीक्षण किया अथवा करवाया जाएगा।

(2) संबंधित विभाग/जिला कलेक्टर कार्यालयों में प्राधिकरण की राशि से संपादित होने वाले रख—रखाव/मरम्मत व उन्नयन के कार्यो को संबंधित लेखाओं का अंकेक्षण, महालेखाकार के आडिट दल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यो का मूल्यांकन/पर्यवेक्षण आंतरिक एवं बाह्य एजेंसी से करवाने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा।

(4) वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यो की सूचना अध्यक्ष, प्राधिकरण द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के सदस्यों एवं छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के प्रभारी मंत्री को सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के लिए दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

प्ररूप–''क''

देखें नियम–3(2)

प्रति,

कलेक्टर,

जिला–.....

महोदय,

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण ने शासकीय मद से निर्मित अधोसंरचना (नाम, स्थल, वि.खं. जिला).....

.....

के रख–रखाव/उन्नयन कार्य के संपादन की स्वीकृति दी गई है। इस हेतु कलेक्टर, जिला–.....द्वारा .....विभाग को क्रियान्वयन को एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

2. कार्यस्थल का पूर्ण निरीक्षण कर कार्य के परिमाण का आंकलन निर्माण एजेन्सी(नाम) .....द्वारा किया गया। इस आंकलन में कार्य से संबंधित तकनीकी प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किया गया है। तकनीकी स्वीकृति कमांक.....दिनांक..... .....द्वारा सक्षम अधिकारी.....द्वारा दी गई है।

3. इस.....रख–रखाव व उन्नयन कार्य को पूर्ण करने में राशि.....रूपये की लागत आना आंकलित है। यह राशि प्राधिकरण से स्वीकृत राशि के अनुरूप/कम/अधिक है।

4. कृपया इस कार्य एवं राशि का प्रशासनिक अनुमोदन सक्षमता अनुसार जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–तकनीकी प्रतिवेदन व प्रमाण–पत्र।

क्रियान्वयन एजेंसी का नाम.....

प्रस्तावक का नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय की मुद्रा

स्थान :

दिनांक :

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है अधोसंरचना के संधारण/उन्नयन हेतु स्वीकृत कार्य(नाम,स्थल,वि.खं.जिला). .....

.....

विभागीय मद से वर्ष ..... में निर्मित की गई है।

उक्त अधोसंरचना के रख–रखाव एवं उन्नयन के लिए विभागीय मद में विगत .....वर्षो से बजट प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण अधोसंरचना के उपयोग से जनसामान्य को हानि की संभावना है।

अतः निर्मित अधोसंरचना का उपयोग शासकीय/जनहित में किये जाने हेतु निर्मित अधोसंरचना में रख–रखाव व उन्नयन के कार्य की नितांत आवश्यकता है। जिसकी अनुमानित लागत रुपये .....लाख है।

निर्मित अधोसंरचना के रख–रखाव व उन्नयन कार्य पूर्ण होने के उपरांत आगामी ..... वर्षो तक उपयोग किया जा सकेगा। यह कार्य जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पैतृक विभाग का नाम.....
अधिकारी का नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय की मुद्रा

स्थान :
दिनांक :

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.